कार्यालय नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)

पत्रांक– 1435 /22/न0पा0परि–गढ़–निविदा ठेकाजात/2016–17 दिनांक– 25/3/17

–: अति अल्पकलीन निविदा सूचना :–

शासनादेश संख्या–617/9–9–2012–160ज/2011 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक–05 अप्रैल, 2012 के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि हेतु नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) निम्नलिखित ठेकों को उठाने हेतु **दिनांक–**31/3/17 को दोपहर 02–00 बजें तक कार्यालय नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर में सील बन्द लिफाफों में पृथक–पृथक निविदायें आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिनांक को अपरान्ह् 3–00 बजें निविदादाताओं की उपस्थिति में नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर के कार्यालय में खोली जायेंगी। जिसके निविदा प्रपत्र **दिनांक–**30/3/17 को दोपहर 02–00 बजे तक नगर पालिका परिषद गढमुक्तेश्वर के कार्यालय से नकद मूल्य जमा कर क्रय किये जा सकते है। उक्त विज्ञप्ति जिला हापुड़ की वेबसाइट hapur.nic.in पर उपलब्ध है। ठेकों का विवरण निम्न प्रकार हैं:–

क्र0स0	ठेकों का विवरण	हैसियत की धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	ठेका पार्किंग पैलेस (स्टैण्ड शुल्क) गढ़ सिटी	10,00,000–00	1,00,000.00	1,000.00
2	ठेका पार्किंग पैलेस (स्टैण्ड शुल्क) बृजघाट	20,00,000.00	1,00,000.00	1,000.00
3	ठेका मुर्दा मवेशी	10,000.00	5,000.00	100.00
4	ठेका खाद–कूड़ा।	10,000.00	5,000.00	100.00

शर्तें:–

1, सशर्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
2, प्रत्येक ठेके के लिये अलग–अलग सील बन्द लिफाफा देना होगा जिस पर ठेके का स्पष्ट विवरण अंकित होगा।
3, प्रत्येक निविदादाता को हैसियत प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
4, निविदा के साथ जमानत धनराशि नकद/एन0एस0सी0/बैंक फिक्स डिपाजिट जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर के नाम बंधक होगी, जमा करनी अनिवार्य होगी, जो ठेका संतोषजनक पूर्ण होने के पश्चात मूल रूप में वापस कर दी जायेगी। जमानत धनराशि जमा न करने की स्थिति में डाली गई निविदा स्वीकृत नही की जायेगी।
5, अधिकतम धनराशि वाली निविदा को स्वीकृत किया जायेगा किन्तु किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
6, निविदा स्वीकृति के पश्चात ठेकों का नियमानुसार स्टाम्प पर अनुबन्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
7, निविदादाता को निविदा स्वीकृति के पश्चात नगर पालिका के उपनियम, शरायतनामा एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों, दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8, ठेकों के सम्बन्ध में शर्ते, शरायतनामा एवं नगर पालिका के उपनियमों को पालिका कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

(पूर्णिमा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, गढ़मुक्तेश्वर
(हापुड़)

(संगीता)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, गढ़मुक्तेश्वर
(हापड)

पत्रांक व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, हापुड़।
2. अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय, हापुड़।
3. उपजिलाधिकारी महोदय, गढ़मुक्तेश्वर।
4. तहसीलदार महोदय, गढ़मुक्तेश्वर।
5. कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कलैक्ट्रेट हापुड़ की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा सूचना का एन0आई0सी0 पर प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
7. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद हापुड़/पिलखुवा।
8. सम्पादक/विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक हिन्दी समाचार पत्र अमर उजाला/ राष्ट्रीय सहारा को इस आश्य से प्रेषित कि अपने समाचार–पत्र के आंगामी प्रकाशित अंक में न्यूनतम एवं उचित स्थान पर प्रकाशित कराकर प्रकाशित अंक की निःशुल्क पॉच–पॉच प्रति बिल सहित आवश्यक रूप से इस कार्यालय में उपलब्ध कराये, तदोपरान्त ही बिल का भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
9. ठेका लिपिक को दो प्रतियॉ इस आश्य से कि एक प्रति कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कराते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र से नगर में व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, गढ़मुक्तेश्वर
(हापुड़)